

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011, के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, भागलपुर क झापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024, के अंतर्गत 05 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रिता को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गो०न०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० निलम देवी, 48, शंकर वर्मा, सामान्य वर्ग	शंकर वर्मा (पति)	1071 12.06.2026 एवं 2215 29.11.2025	ग्राम-सुखसरोवर, पं०-कसवा खेरी, पो०-शाहकुण्ड, वार्ड-10, थाना+प्र०-शाहकुण्ड, जिला भागलपुर 7004864647	361801 101139 91	UCO BANK UCBA0R RBBKG	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
2	स्व० उज्जवल कुमार दारा, 54, स्व० योगेन्द्र प्रसाद दारा, गैर आरक्षित वर्ग	पूजा दारा (पत्नी)	1071 12.06.2026 एवं 2222 29.11.2025	ग्राम।पो०।धाना बिह पुर प्र० बिहपुर, जिला भागलपुर 7903276328	367476 96115	SBI SBIN000 5769	रु० 50,000/ (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
3	स्व० वेदानंद गंडल, 46 चन्द्रदेव गंडल, पिछड़ा वर्ग	पूना देवी (पत्नी)	1050 11.06.2026 एवं 1702 26.08.2025	ग्राम नवटोलिया, पो० गक्खा तकिया, थाना।प्र० नवगछिया, जिला भागलपुर 6201795011	605164 57534	BOM MAH80 001599	रु० 1,00,000/ (एक लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु (राइक दुर्घटना के कारण) कृषक गजदूरी
4	स्व० श्यामल गंडल, 38, बोधी मंडल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	नुतन देवी (पत्नी)	1050 11.06.2026 एवं 1808 04.09.2025	ग्राम डुगरिया, पो० सुकटिया बाजार, थाना+प्र०-गोपालपुर, जिला-भागलपुर 9905239188	445881 000035 00	BOB BARBON AUGAC	रु० 50,000/ (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
5	स्व० गौरी मंडल, 63, पैरु गंडल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	जया देवी (पत्नी)	1050 11.06.2026 एवं 1809 04.09.2025	ग्राम-करचीरा, पो०-सुकटिया बाजार, थाना।प्र० गोपालपुर, जिला भागलपुर 9534502464	103132 111144 99	UCO BANK UCBA00 01031	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
6	स्व० गो० रागीर , 59, गो० जहीर, सामान्य वर्ग	अगीरुन निशा (पत्नी)	1050 11.06.2026 एवं 1810 04.09.2025	ग्राम काजीदारा, पो० बड़ी पोरट ऑफिरा, थाना तिलकागौंझी, प्र० जगदीशपुर, जिला भागलपुर 8240447162	121732 111967 78	UCO BANK UCBA00 01217	रु० 50,000/ (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजगिरजी का हेल्पर

कुल :-रु 3,50,000/-

(तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार

एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011/बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-32/2025-1100

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाग के सागने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, भागलपुर/उप श्रमायुक्त, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 गैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

19/08/2025
(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

पटना, दिनांक :- 21/08/2026

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक